संख्या-07/2022/आई/154858/2022फा0नं0-10-22099/1407/2020-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2-महानिदेशक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
3-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5-निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2022

विषय: नयी पेंशन योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन- दिवंगत कार्मिक के परिवार को अभिदाता अंशदान की वापसी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(9)-2011, दिनांक 19 मई, 2016 के प्रस्तर-2 (ग) की व्यवस्था निम्नानुसार है:-

''2(ग) यदि विनियम 6(ङ) के अनुसार अभिदाता की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य, सरकार द्वारा उपबन्धित मृत्यु या नि:शक्तता सम्बन्धी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का उपभोग करते हैं, तो सरकार को अभिदाता के PRAN खाते में संचित सम्पूर्ण धन अपने पास समायोजित करने या अन्तरित किये जाने का अधिकार होगा। ऐसे लाभ का उपभोग करने वाला अभिदाता या अभिदाता के परिवार के सदस्य से पारिवारिक पेंशन या नि:शक्तता पेंशन या कोई अन्य सम्बन्धित प्रसुविधा के स्थान पर विनिर्दिष्ट रूप से और बिना शर्त सरकार को PRAN खाते में सम्पूर्ण संचित पेंशन धन अन्तरित करने के लिये सहमत होंगे और इसका वचन देंगे। जिन प्रकरणों में शासनादेश दिनांक 05-12-2011 सपठित शासनादेश दिनांक 31-10-2014 के क्रम में सेवानैवृत्तिक लाभ स्वीकृत किये जा चुके है, उनमें भी इसी आशय का वचन-पत्र लाभार्थी द्वारा अपने कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष के माध्यम से निदेशक पेंशन को प्रस्तुत किया जाएगा।''

2- कार्मिक,लोक शिकायत और पेंशन मत्रालय (पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग) की अधिसूचना दिनांक 30 मार्च, 2021 द्वारा निर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का कार्यान्वयन) नियम, 2021 के प्रस्तर-20(2)एवं (3) की व्यवस्था निम्नानुसार है-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

''**यदि अभिदाता की मृत्यु होने पर, केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अन्तर्गत उप-नियम (1) के अनुसरण में कुटुम्ब को हितलाभ देय है, तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ, सरकार के खाते में अन्तरित किया जायेगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा, जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अन्तर्गत नामनिर्देशन किया गया है।** यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामनिर्देशन आस्तित्व में नहीं है, तो संचित पेंशन कॉर्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जायेगा।''

3- केन्द्र सरकार के अधीन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित कार्मिकों के संबंध में की गयी उक्त व्यवस्था के क्रम में शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(9)-2011, दिनांक 19 मई, 2016 के प्रस्तर-2 (ग) को श्री राज्यपाल निम्नानुसार प्रतिस्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

'' 2(ग) यदि विनियम 6(ङ) के अनुसार अभिदाता की मृत्यु पर उसके परिवार के सदस्य, सरकार द्वारा उपबन्धित मृत्यु या नि:शक्तता सम्बन्धी अतिरिक्त अनुतोष के विकल्प का उपभोग करते हैं, **तो अभिदाता के संचित पेंशन कॉर्पस में सरकार का अंशदान और उस पर प्रतिलाभ, सरकार के खाते में अन्तरित किया जायेगा। शेष संचित पेंशन कॉर्पस का भुगतान उस व्यक्ति को किया जायेगा, जिसके पक्ष में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत निकास और प्रत्याहरण) विनियम, 2015 के अन्तर्गत नामनिर्देशन किया गया है।** यदि ऐसा कोई नामनिर्देशन नहीं है या यदि किया गया नामनिर्देशन आस्तित्व में नहीं है, तो संचित पेंशन कॉर्पस की शेष राशि का भुगतान विधिक उत्तराधिकारी को किया जायेगा।

4- शासनादेश संख्या-13/सा-3-180/दस-2016-301(9)-2011, दिनांक 19 मई, 2016 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

5- यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)- प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0।

3-समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

4- वित्त नियंत्रक, पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

5- वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।

6- वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा, लखनऊ।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।